रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 253] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 13, 2001/भाद्र 22, 1923

No. 253] NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 13, 2001/BHADRA 22, 1923

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 सितम्बर, 2001

जांच शुरूआत (समीक्षा)

विषयः यूरोपीय संघ से थर्मल सेन्सिटिव पेपर (टी एस पी) के आयातों पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क के संबंध में समीक्षा शुरू करना ।

सं. 31/1/2001-डीजीएडी.— 1995 में यथा-संशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 और सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन एवं संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली 1995 को ध्यान में रखते हुए निर्दिष्ट प्राधिकारी ने दिनांक 3.3.2000 की राजपत्र अधिसूचना संख्या 25/1/98/एडीडी के द्वारा सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अध्याय 48 के अंतर्गत आने वाले यूरोपीय संघ के मूल के अथवा वहां से निर्यातित थर्मल सेन्सिटिव पेपर के आयातों पर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की थी । भारत

सरकार ने दिनांक 11.10.1999 की अधिसूचना संख्या 115/99 सीमाशुल्क के द्वारा अनन्तिम पाटनरोधी शुल्क लगाया जिसकी दिनांक 6.4.2000 की अधिसूचना संख्या 39/2000 के द्वारा पुष्टि की गई थी ।

1. **विचाराधीन उत्पाद**

विचाराधीन उत्पाद थर्मल सेन्सिटिव पेपर (टी एस पी) है । थर्मल सेन्सिटिव पेपर सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम,1975 की अनुसूची 1 के उपशीर्ष 4809.10 के अंतर्गत वर्गीकृत है । तथापि, यह वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और वर्तमान समीक्षा के कार्य क्षेत्र पर किसी प्रकार बाध्यकारी नहीं है ।

2. **जांच की शुरूआत**

सीमाशुल्क टैरिफ (संशोधन) अधिनियम,1995 और इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार प्राधिकारी को समय समय पर पाटनरोधी शुल्क को जारी रखे जाने की जरूरत की समीक्षा करनी अपेक्षित होती है । घरेलू उद्योग ने यह आरोप लगाते हुए पाटनरोधी शुल्क की समीक्षा हेतु एक याचिका दायर की है कि ई यू से टी एस पी के पाटन और उससे हुई क्षति में बढ़ोतरी हुई है । निर्दिष्ट प्राधिकारी अब इस बात पर विचार करते है कि सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन एवं संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली 1995 के नियम 23 के प्रावधान के अंतर्गत इस स्तर पर सिफारिश किए गए पाटनरोधी शुल्क की समीक्षा करना उचित होगा ।

3. **प्रक्रिया**

दिनांक 3.3.2000 की अधिसूचना संख्या 25/1/98-एडीडी के द्वारा अधिसूचित अंतिम निष्कर्षों की समीक्षा करने के निर्णय के उपरान्त प्राधिकारी सीमाशुल्क टैरिफ (संशोधन) अधिनियम, 1995 और सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन एवं संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के अनुसार यूरोपीय संघ के मूल के अथवा वहां से निर्यातित थर्मल सेन्सिटिव पेपर (टी एस पी) के आयातों पर लगे पाटनरोधी शुल्क को जारी रखने की आवश्यकता की समीक्षा हेतु एतदद्वारा जांच शुरू करते हैं ।

4. इस समीक्षा में दिनांक 3.3.2000 की अधिसूचना संख्या 25/1/98-एडीडी के सभी पहलुओं को शामिल किया गया है ।

5. वर्तमान समीक्षा के प्रयोजनार्थ जांच की अवधि 1अप्रैल 2000 से 31 मार्च 2001 तक की है ।

6. दिनांक 3.3.2000 की अधिसूचना संख्या 25/1/98-एडीडी के द्वारा अधिसूचित अंतिम निष्कर्षों में मै. कृष्णा पेपर मिल्स एंड इंडस्ट्रीज लि. नई दिल्ली ने घरेलू उद्योग का प्रतिनिधित्व किया था । प्राधिकारी उपरोक्त नियमों के अनुसारण में श्री कृष्णा पेपर मिल्स एंड इंडस्ट्रीज लि., नई दिल्ली को घरेलू उद्योग का प्रतिनिधित्व करने के लिए विचार करने का प्रस्ताव करते हैं ।

7. **सूचना प्रस्तुत करना**

संबद्ध देशों/क्षेत्र के निर्यातकों, भारत में संबंधित समझे जाने वाले आयातकों तथा उपयोगकर्ताओं और घरेलू उद्योग को अलग अलग सूचित किया जा रहा है कि वे निर्धारित प्रपत्र में और निर्धारित ढंग से संगत सूचना निम्नलिखित पते पर प्रस्तुत करें और अपने विचारों से अवगत कराएं

निर्दिष्ट प्राधिकारी,
पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय,
वाणिज्य विभाग,
उद्योग भवन,
नई दिल्ली-110011

कोई अन्य हितबद्ध पार्टी नीचे दी गई समय सीमा के भीतर निर्धारित प्रपत्र में और निर्धारित ढंग से जांच से संबंधित अपने अनुरोध कर सकती है ।

8. समय सीमा

वर्तमान समीक्षा से संबंधित कोई सूचना और सुनवाई के लिए कोई भी निवेदन लिखित रूप में दिया जाए जो उपरोक्त पते पर प्राधिकारी के पास इस समीक्षा अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से चालीस दिनों के भीतर पहुंच जाना चाहिए । यदि कोई सूचना निर्धारित समय सीमा के भीतर प्राप्त नहीं होती है अथवा अधूरी सूचना मिलती है, तो निर्दिष्ट प्राधिकारी उक्त नियमों के अनुसार रिकार्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने निष्कर्ष दर्ज कर सकते हैं ।

9. सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

नियम 6(7) के अनुसार कोई भी हितबद्ध पार्टी अन्य हितबद्ध पार्टियों द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों के अगोपनीय अंश वाली सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकती है ।

10. यदि कोई हितबद्ध पार्टी आवश्यक सूचना जुटाने से मना करती है या उचित समय के भीतर उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराती है या महत्वूपर्ण ढंग से जांच में बाधा डालती है तो प्राधिकारी अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने निष्कर्ष दर्ज कर सकता है तथा केन्द्रीय सरकार को यथोचित सिफरिशें कर सकता है ।

एल. वी. सप्तऋषि, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th September, 2001

Initiation (Review)

Subject: Initiation of Review regarding anti-dumping duty imposed on Thermal Sensitive Paper (TSP) imports from European Union.

No. 31/1/2001-DGAD.— The Designated Authority having regard to the Customs Tariff Act, 1975 as amended in 1995 and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 thereof recommended imposition of definitive Anti Dumping duty on imports of Thermal Sensitive Paper originating in or exported from European Union falling under Chapter 48 of the Customs Tariff Act 1975 vide Gazette Notification No. 25/1/98/ADD, dated 3.3.2000. The Government of India imposed provisional Anti Dumping Duty vide Notification No.115/99-Customs dated 11.10.1999, which was confirmed by Notification No. 39/2000, dated 6.4.2000.

1. **Product Under Consideration**

Product under consideration is Thermal Sensitive Paper (TSP). Thermal Sensitive Paper (TSP) is classified under sub-head 4809.10 of Schedule I of the Customs Tariff Act, 1975. The Classification is, however, indicative only and is in no way binding on the scope of the present review.

2. **Initiation**

The Customs Tariff (Amendment) Act 1995 and the Rules made thereunder require the Authority to review, from time to time, the need for continuance of Anti Dumping Duty. The domestic industry has filed a petition seeking review of the anti-dumping duty alleging that the dumping of TSP from EU and the injury caused therefrom has intensified. The Designated Authority now considers that the review of the Anti Dumping Duty recommended would be appropriate at this stage under the provision of Rule 23 of Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995.

3. **Procedure**

Having decided to review the final findings notified vide 25/1/98/ADD, dated 3.3.2000, the Authority hereby initiates investigations to review the need for continued imposition of Anti Dumping Duty on imports of Thermal Sensitive Paper (TSP) originating in or exported from European Union in accordance with the Customs Tariff (Amendment) Act, 1995 and the Customs Tariff (Identification, Assessment & Collection of Anti Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995.

4. The review covers all aspects of the Notification No. 25/1/98/ADD, dated 3.3.2000.

5. The period of investigation for the purpose of the present review is 1st April 2000 to 31st March 2001.

6. M/s. Shree Krishna Paper Mills & Industries Ltd., New Delhi represented the domestic industry in the final findings notified vide 25/1/98/ADD, dated 3.3.2000. The Authority proposes to consider M/s. Shree Krishna Paper Mills & Industries Ltd., New Delhi to represent the domestic industry in accordance with the Rules supra.

7. **Submission of Information**: The exporters in subject countries/territory, the importers and users in India known to be concerned and the domestic industry are being addressed separately to submit relevant information in the form and manner prescribed and to make their views known to the-

The Designated Authority
Directorate General of Anti-Dumping and Allied Duties
Department of Commerce
Udyog Bhavan
New Delhi-110011.

Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the prescribed form and manner within the time limit set out below.

8. **Time Limit**

Any information relating to the present review and any request for hearing should be sent in writing so as to reach the Authority at the address mentioned above not later than forty days from the date of publication of this review notification. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Designated Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the Rules supra.

9. **Inspection of Public File**:

In terms of Rules 6(7), any interested party may inspect the public file containing non-confidential version of the evidence submitted by other interested parties.

10. In case where an interested party refuses access to, or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

L. V. SAPTHARISHI, Designated Authority

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.